

कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी पेण्डारोड, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ0ग0)

// संशोधित आदेश //

क्रमांक क/अ0वि0द0/स्टेनो/2021/1083

पेण्डारोड दिनांक 10/06/2021

कार्यालयीन संशोधित आदेश पत्र में आंशिक संशोधन करते हुए जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के अंतर्राज्यीय सीमा एवं अन्तरजिला के सीमा पर करंगरा वीकिंग नामक में निम्न शिक्षकों की ड्युटी तत्काल प्रभाव से लगाई जाती है :-

क्रमांक	बेरियर का नाम	पूर्व में लगाई गई शिक्षक का नाम/मो0नं0	वर्तमान में लगाई जाने वाले शिक्षक का नाम/मो0नं0	समय
01	करंगरा	श्री सौरभ साहू व्याख्याता, शा0मा0शा0 कोरजा, मो0नं0 7898949552	श्री जितेन्द्र केशरवानी सहा0शि0, शा0मा0शा0 धनौली,मो0नं0 8103451660	दोपहर 02:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी  
SUBDIVISIONAL MAGISTRAT  
PENDEAR ROAD

पृ. क्रमांक क/अ.वि.द./स्टेनो/2021/1084  
प्रतिलिपि :-

पेण्डारोड, दिनांक 10/06/2021

1. कलेक्टर महोदया एवं जिला दण्डाधिकारी जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ0ग0) को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार, पेण्डारोड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, गौरेला को सूचनार्थ।
5. संबंधित श्री ..... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी  
SUBDIVISIONAL MAGISTRAT  
PENDEAR ROAD